DHANIRAM
MEMORIAL PUBLIC SCHOOL

ANNEXURE-III

Society Registration Certificate and bye laws

PRINCIPAL
DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Barpali, Korba (C.G.)

सचिव
धनीराम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)

आवक क्र. [illegible] दिनांक [illegible]

प्ररूप दो

(नियम 6 देखिये)

छत्तीसगढ़ शासन

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

क्रमांक 24701

यह प्रमाणित किया जाता है कि धनीराम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी,

सोसायटी, जो स्टेशन रोड, सीतामढ़ी कोरबा

तहसील कोरबा जिला कोरबा में स्थित है

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन

तारीख 11/09/2014 को रजिस्ट्रीकृत की गई है।

समितियों के सहायक रजिस्ट्रार बिलासपुर संभाग मुद्रा

(अजय चौबे)

सोसायटियों का रजिस्ट्रार

PRINCIPAL
DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Barpali, Korba (C.G.)

सचिव
धनीराम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)

—प्रारूप
(1) कृपया प्रारूप अनुसार तीन टाईप्ड स्वच्छ प्रतियाँ लगायें।
970
3/5/16

(नियम 3 देखिये)

सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए सोसाइटी का ज्ञापन

1. सोसाइटी का नाम धनीराम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी (S.D.R.M.) होगा।

2. सोसाइटी का प्रधान कार्यालय कोरबा
तहसील कोरबा जिला कोरबा में स्थित होगा और
इसका पता स्टेशन रोड सीतामढ़ी कोरबा होगा।

पंजीयन क्रमांक 79701
पंजीयन दिनांक 11/4/15
संशोधन दिनांक
संशोधन का दिनांक

3. सोसाइटी के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :—

01. (1) शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालित करना।
02. (2) छात्र-छात्राओं का समग्र विकास करना कार्यक्रम राष्ट्रीयता की भावनाओं जागृत करना।
03. (3) आधुनिकतम एवं श्रेष्ठतम शिक्षा प्रदान करना।
04. (4) राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ नागरिक तैयार करना।
05. शिक्षा के साथ-साथ संस्कार पर विशेष ध्यान देना।

सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध, सोसाइटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, परिषद, संचालाकों, समिति या शास. —निकाय को सौपा गया हैं, जिनके नाम, पता तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है :—

सत्य प्रतिलिपि

अनुक्रमांक (1)	नाम (2)	पता (3)	उपजीविका (4)
01. 1.	डॉ बंशीलाल महतो	स्टेशन रोड कोरबा	चिकित्सक
02. 2.	श्रीमती कौशिल्या देवी	स्टेशन रोड कोरबा	गृहणी
03. 3.	श्री विकास रंजन महतो	स्टेशन रोड कोरबा	ठेकेदार
04. 4.	श्रीमती रोशनी महतो	स्टेशन रोड कोरबा	गृहणी
05. 5.	डॉ. विवेक रंजन महतो	स्टेशन रोड कोरबा	चिकित्सक
06. 6.	श्रीमती अनुभुति महतो	स्टेशन रोड कोरबा	गृहणी
07. 7.	श्रीमती अनिता कौशिक	राजेन्द्र प्रसाद नगर कोरबा	गृहणी
08.	श्रीमती सुषमा जायसवाल	गेवरा परियोजना	शिक्षिका
09.	श्रीमती आशा ~~गोभील~~	~~सरदार वल्लभ भाई पटेल नगर~~ जमनीपाली	~~गृहणी~~
10.	श्रीमती हेमलता जायसवाल	डोंगलोर	गृहणी

PRINCIPAL
DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Barpali, Korba (C.G.)

छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसाइटी के विनियम का सम्यक रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान-ज्ञापन के साथ फाइल की गई है. हम विभिन्न व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे लिखे गये है, उपरोक्त प्रतिष्ठान-ज्ञापन के अनुसरण में सोसाइटी बनाने के इच्छुक हैं और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थित में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

अनुक्रमांक	अभिदाताओं के नाम तथा पूर्ण पते पिता/पति के नाम सहित: नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम/मोहल्ला/वार्ड	हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	डॉ. बंशीलाल महतो	स्व. श्री धनीराम	स्टेशन रोड कोरबा	(हस्ताक्षर)
02.	श्रीमती कौशिल्या देवी	डॉ. बंशीलाल महतो	स्टेशन रोड कोरबा	कौ. शल्या देवी
03.	श्री विकास रंजन महतो	डॉ. बंशीलाल महतो	स्टेशन रोड कोरबा	(हस्ताक्षर)
04.	श्रीमती रोशनी महतो	श्री विकास रंजन	स्टेशन रोड कोरबा	Roshni
05.	डॉ. विवेक रंजन महतो	डॉ. बंशीलाल महतो	स्टेशन रोड कोरबा	(हस्ताक्षर)
06.	श्रीमती अनुभुति महतो	डॉ. विवेक रंजन	स्टेशन रोड कोरबा	(हस्ताक्षर)
07.	श्रीमती अनिता कौशिक	श्री दिनेश कौशिक	राजेन्द्र प्रसाद नगर	Anita
08.	श्रीमती सुषमा जायसवाल	श्री नीलकंठ	गेवरा परियोजना	Sushma
09.	श्रीमती आशा गोभील	श्री सूरज कुमार	म.व्य.ग्रा.प.नगर जमनीपाली	(हस्ताक्षर)
10.	श्रीमती हेमलता जायसवाल	श्री सत्येन्द्र कुमार	बैंगलौर	Hemlata

पंजीयन क्रमांक 24/1/... दिनांक 11/9/14 संशोधन दिनांक ... फाईलिंग दिनांक ... सहायक पंजीयक

सत्य प्रतिलिपी

तारीख : ....

प्रति,

सोसाइटियों का रजिस्ट्रार

सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाऐं
राजीव गांधी चौक, नेहरुभवन
बिलासपुर (छ.ग.)

साक्षी (हस्ताक्षर)

हस्ताक्षर ....

नाम राजकुमार देवांगन

पूर्ण पता गजानंन साई मंदिर के पीछे बुधवारी बाजार कोरबा जिला- कोरबा (छ.ग.)

सचिव
धनीराम मेमोरियल एजुकशन सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)

DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Barpali, Korba (C.G.)

प्रमाणित प्रति
क्र. 23... चालान क्र. 94
दिनांक 30/5/16 द्वारा किया गया है। या
पंजीयन क्र. 24707... दिनांक 11/9/14
पंजीकृत क्र. संस्था की मूल दस्तावेज प्रमाणित प्रतिलिपि जारी होने का
दिनांक ....

सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं
क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर
31/5/16

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ CHHATTISGARH

13AA 354294

R 24701
11/9/14

30/7/14

सहायक पंजीयक
फर्म एवं संस्थाएं
क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर

PRINCIPAL
DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Barpali, Korba (C.G.)

सचिव
धनीराम मेमोरियल एजुकशन सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)

11294, 970/31/5/16

नियमावली

कृपया प्रारूप अनुसार तीन राईटस स्वच्छ प्रतियां प्रस्तुत हों।

संस्था का नाम ~~डी० आर० एम० पब्लिक स्कूल~~ धनीराम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी होगा।

संस्था का कार्यालय कोरबा

म.न. 56 मोहल्ले का नाम स्टेशन रोड सीतामढ़ी कोरबा

तहसील कोरबा जिला कोरबा

छत्तीसगढ़

संस्था का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण ~~छत्तीसगढ़~~ बिलासपुर संभाग ~~छत्तीसगढ़~~ होगा।

संस्था उद्देश्य

पंजीयन क्रमांक 24701
पंजीयन दिनांक 11/4/14
पंजीयन दिनांक
संशोधन दिनांक
संशोधन का दिनांक
सहायक पंजीयक

(जो ज्ञापन पत्र में अंकित हैं वही लिखें)

(1) शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना

(2) छात्र-छात्राओं का समस्त विकास करना व उसमें राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत करना

(3) आधुनिकतम एवं श्रेष्ठतम शिक्षा प्रदान करना

(4) राष्ट्र के लिए श्रेष्ठ नागरिक तैयार करना

(5) शिक्षा के साथ-साथ संस्कार पर विशेष ध्यान देना

सदस्यता :— संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे.

(अ) संरक्षण सदस्य :— संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपयें 2000 या अधिक एकमुश्त या एक साल में बारह किश्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा.

सत्य प्रतिलिपि

(ब) आजीवन सदस्य:— जो व्यक्ति संस्था के दान के रूप में रूपयें 1000 या अधिक देकर वह आजीवन सदस्य बन सकेगा. कोई भी आजीवन सदस्य रूपयें 1000 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता हैं.

(स) साधारण सदस्य:—जो व्यक्ति 50 माह रूपयें 600 प्रतिवर्ष संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा. साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिए उसने चन्दा दिया हैं जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों क छः माह तक देय चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता हैं.

(द) सम्मानीय सदस्य:— संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी उचित समझें सम्मानीय सदस्य बना सकती हैं ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा.

सदस्यता की प्राप्ति :— प्रत्येक व्यक्ति जो समिति सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा. ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र की स्वीकार करने या अमान्य करन का अधिकार होगा.

PRINCIPAL
DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Barpali, Korba (C.G.)

सचिव
धनीराम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ CHHATTISGARH

13AA 354297

R 24701 / 11/9/14

सहायक पंजीयक
फर्म्स एवं संस्थाएं
क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर

PRINCIPAL
DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Barpali, Korba (C.G.)

सचिव
धनीराम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)

सदस्यों की योग्यता :– संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :–

(1) आयु 18 वर्ष से कम न हो. (2) भारतीय नागरिक हो. (3) समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो. (4) सदचरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो, (5) महिला मंडल / महिला स्वसहायता समूह में केवल महिला ही सदस्य बन सकेंगे।

8. **सदस्यता की समाप्ति :–** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :–

(1) मष्त्ये हो जाने पर, (2) पागल हो जाने पर, (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर, (4) त्याग–पत्र देने पर ओर वह स्वीकार होने पर, (5) चरित्रक दोश होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी.

9 **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्यौरे दर्ज किये जावेंगे :–**

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय

(2) ह तारीख जिसकों सदस्यों को प्रवेश दिया हो व रसीद नं.

(3) ह तारीख जिससे सदस्यता समाप्त हुई हो

(4) सदस्यों के हस्ताक्षर.

पंजीयन क्रमांक ...... पंजीयन दिनांक ...... संशोधन दिनांक ...... फाईलिंग का दिनांक ......

सत्य प्रतिलिपि

10 **(अ) साधारण सभा :–** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे. साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी. परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी. बैठक का माह .... होगा तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी. बैठक का कोरम 3 / 5 सदस्यों का होगा. संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से 3 माह के भीतर जुलाई बुलाई जावेगी. उसमें संस्था के पदाधिकारियों को विधिवत् निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा.

(ब) प्रबंधकारिणी सभा :– प्रबधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का जेण्डा तथासूचना बैठक दिनाक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी. बैठक में कोरम 1 / 2 सदस्यों की होगी. यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता हैं तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी जसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी.

(स) विशेष :– यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2 / 3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप में बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विशय पर विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी. विशेष संकल्प पारित हो जोन पर संकल्प की प्रति बैठक पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजा जावेगा. पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा.

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्त्तव्य :–** (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना. (ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना. (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियवित करना. (घ) अन्य ऐसे विषयों प विचार करना जा प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो. (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रको को स्वीकृत करना. (छ) बजट का अनुमोदन करना.

PRINCIPAL
DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Barpali, Korba (C.G.)

सचिव
धनीराम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)

कारिणी का गठन :– नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर र्ज हों बेठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के दस्यों का निर्वाचन होगा.

(1) अध्यक्ष, (2) उपाध्यक्ष, (3) सचिव, (4) कोषाध्यक्ष, (5) संयुक्त सचिव एवं सदस्य 2.

प्रबंध समिति का कार्यकाल :– प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा.

प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य :– (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ हैं उसकी पूर्ति करना और इस आषय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना.

(ब) पिछले वर्ष का आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना.

(स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना. संस्था की चल–चअल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना.

(द) कर्मचारियों, शिक्षकों अदि की नियुक्ति करना.

(ई) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाए.

(च) संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी.

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावार संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अंतरित नहीं की जाएगी.

सत्य प्रतिलिपी

(ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विषेश बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी. साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत से संशोधित पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा.

अध्यक्ष के अधिकार :– अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा. अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा.

उपाध्यक्ष के अधिकार :– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा. अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा.

सचिव (मंत्री) के अधिकार :–

(1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों प्रस्तुत करना.

(2) समिति की आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना.

(3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना. उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसी सूचना प्रबंधकारिणी को देना.

(4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये ....1000........ व्यय करने का अधिकार होगा.

PRINCIPAL
DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Barpali, Korba (C.G.)

सचिव
धनीराम मेमोरियल एजुकशन सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)

संयुक्त सचिव के अधिकार :– सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा.

कोशाध्यक्ष के अधिकार :– समिति की धनराषि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकष्त व्यय करना.

20. बैंक खाता :– संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में रहेगी. धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोशाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा. दैनिक व्यय हेतु कोशाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपयें ....1000.......... रहेंगे.

21. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :– अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा मय नियत शुल्क के साथ भेजेगी.

सत्य प्रतिलिपि
पंजीयन क्रमांक ....
पंजीयन दिनांक ....
संशोधन दिनांक ....
फाईलिंग दिनांक ....

22. संशोधन :– संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा. यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके संविधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाऐं को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा. संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय–नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी.

23. विघटन :– संस्था का विघटन साधारण सभा के कुल सदस्यों के 3/5 से पारित किया जावेगा. विघटन के पश्चात् संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी. उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी.

24. सम्पत्ति :– संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी. संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फमर्स एवं संस्थाऐं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था द्वारा जमा की जायेगी.

25. बैंक खाता :– संस्था की समस्त निधि का किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट–आफिस में खोला जावेगा एवं समय–समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी.

26. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :– संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा. साथ यही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा.

27. विवाद :– संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा. यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे. रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा. संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा.

प्रमाणित प्रति
शुल्क ....28/-.... चालान क्र. ....
दिनांक .... द्वारा किया गया है । जो पंजीयन क्र. .... दिनांक .... द्वारा पंजीकृत क्र. संस्था की मूल दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि जारी होने का दिनांक ....

PRINCIPAL
DHANIRAM MEMORIAL PUBLIC SCHOOL
Barpali, Korba (C.G.)

सहायक पंजीयक
फर्म एवं संस्थाएं
क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर

सचिव
धनीराम मेमोरियल एजुकेशन सोसायटी
कोरबा (छ.ग.)